न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व), मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 103/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बलजिन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर ।		1. गुरदीप सिंह पुत्र बचित्र सिंह जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर । 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 10.12.2021

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री मनीष कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

--निर्णय-- दिनांकः 14.02.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 46 एफ, पटवार हल्का 46 एफ, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 58/51 व 61/54 में प्रार्थी के नाम कुल 5.194 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 गुरदीप सिंह के नाम से 0.379 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के कब्जाकाश्त में मुरब्बा नं0 20 के किला नं0 1, 2, 3, 4 पारिवारिक विभाजन में आये हुये है तथा इन्ही किलाजात पर प्रार्थी काश्तकार की हैसियत से शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 गुरदीप सिंह मुझ प्रार्थी का पिता है तथा राजस्व अभिलेख में अपने नाम कृषि भूमि दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाते हुये, अपने नाम की कृषि भूमि को अन्यंत्र विक्रय करने हेतु उतारू है, जिसके लिए गुरदीप सिंह ने इलाके के दलालो को सक्रिय कर रखा है। इस बात की जानकारी होने पर कल दिनांक 08.12.2021 को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 गुरदीप सिह से सम्पर्क कर, इस संबंध में बात की तथा कहा कि "अभी तक प्रश्नगत कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है तथा विधिवत जोत विभाजन नहीं करवाया हुआ है। इस कारण आप यदि आप अपने हिस्सा की कृषि भूमि को बेचान करना चाहते हो तो पहले मेरे कब्जा व काश्त के किला नम्बर राजस्व अभिलेख में मेरे नाम से दर्ज करवा देवे तथा अपने नाम अलग से किला नम्बर दर्ज करवा लेवे तथा उसके पश्चात् ही अपने कब्जा काश्त के किलाजात का बेचान किसी अन्य व्यक्ति को करना ताकि कब्जा को लेकर मौका पर विवाद उत्पन्न न हो," तो अप्रार्थी संख्या 1 ने स्पष्ट कहा है कि " वह तो अपने नाम कृषि भूमि दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाते हुये, जल्द ही अन्यंत्र बेचान कर देगा और विक्रय पत्र की आड़ में, प्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर क्रेता को काबिज कर देगा। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 प्रश्नगत कृषि भूमि को बिना विधिवत् विभाजन करवाये, अन्यत्र हस्तांतरित कर, खुर्द-बुर्द करने पर अमादा है तथा प्रार्थी एवं पंचायत के द्वारा समझाने के बावजूद भी मान नही रहा। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने कृत्य में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी अपने कब्जाशुदा व हिस्सा की कृषि भूमि से महरूम हो जावेगा। यही वाद कारण है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्राथी स्वीकार किया जाकर प्राथी के पक्ष मे व अप्राथी के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मूल वाद पत्र के निस्तारण तक अप्राथी राजस्व ग्राम चक 46 एफ, पटवार हल्का 46 एफ, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 58/51 व 61/54 में वर्णित कृषि भूमि के संबंध में मौका एव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्राथी के कब्जाकाश्त के मुरब्बा नं0 20 के किला नं0 1, 2, 3, 4 में अप्रार्थी किसी भी अनुरूप दखल अदांजी करने एवं करवाने से निषेध रहें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्राथी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार उपस्थित आए, व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4 हमारे पारिवारिक बंटवारा में बलजिन्द्र सिंह को दिए हुए है, जिस पर वह काबिज अवश्य है, लेकिन कृषि भूमि का अभी तक किलावाईज विभाजन नहीं हुआ है। प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में मुझ अप्रार्थी के नाम से दर्ज है इस कारण मैं अप्रार्थी अपनी आवश्यकतानुसार अपनी हिस्सा की कृषि भूमि का बेचान करने हेतु स्वतंत्र हूं। लेकिन किलावाईज बेचान मेरे द्वारा नहीं किया जावेगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने अधिवक्तागण की बहस विस्तारपूर्वक सुनी। पत्रावली प्रार्थना पत्र एंव जवाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एंव अवलोकन करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन किया। हम प्रकरण का निर्णयन निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर करना विधिसंगत समझते है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला**:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए क्योंकि साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो। कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी/वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हो तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो।

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी बलजिन्द्र सिंह द्वारा चक 46 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 58/51 व 61/54 की प्रतिलिपि पेश की गई। जिसमें वादी/प्रार्थी के नाम चक 46 एफ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 58/51 व 61/54 में कुल 5.194 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 गुरदीप सिंह के नाम से 0.379 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4 पारिवारिक बंटवारा में बलजिन्द्र सिंह को दिए हुए है, जिस पर वह काबिज अवश्य है, लेकिन कृषि भूमि का अभी तक किलावाईज विभाजन नहीं हुआ है। प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में मुझ अप्रार्थी के नाम से दर्ज है इस कारण अप्रार्थी अपनी आवश्यकतानुसार अपनी हिस्सा की कृषि भूमि का बेचान करने हेतु स्वतंत्र है।

हमने हस्तगत प्रकरण का अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है। कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पारिवारिक बंटवारा हुआ है। यह साक्ष्य का विषय है कि चक 46 एफ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 58/51 व 61/54 में कुल 5.194 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 गुरदीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

के नाम से 0.379 हैक्टर नहरी भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का कब्जा काश्त किन-किन किलाजात पर है। यह सम्पूर्ण तथ्य मूलवाद के साक्ष्य है। हस्तगत प्रकरण में भू-अभिलेखों में होने वाली जटिलताओं यदि आराजी का कोई और बैयनामा होता है। तो उससे बचने के लिए हम प्रकरण में अस्थाई व्यादेश ताफैसलावाद दिया जाना उचित समझते है।

2.<u>सुविधा का संतुलनः</u>- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी। हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला पहले ही प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। लिहाजा राजस्व अभिलेखों में बेचान इत्यादि से होने वाली जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3.<u>अपूरणीय क्षतिः</u>- चूंकि बिन्दू संख्या 01 प्रथम दृष्टया मामला तथा बिन्दू संख्या 02 सुविधा का संतुलन प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित हो चुके है। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेखों में कोई परिवर्तन होता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित होता है।

अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी/वादी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम उचित/ विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का पारित किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम चक 46 एफ, पटवार हल्का 46 एफ, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 58/51 व 61/54 में प्रार्थी बलजिन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह व अप्रार्थी गुरदीप सिंह पुत्र वचित्र सिंह के नाम दर्ज कुल 5.573 हैक्टर भूमि के कब्जा काश्त के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एंव न ही उक्त आराजी का किलावाईज बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें। उक्त दोनों खातो की शेष भूमि पर यह स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर